

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई अम्बाला द्वारा जनपद शामली के अन्तर्गत पैकेज-1 के चैनेज किमी 0 0+000 से किमी 0 चैनेज 120+970 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.471 हे० संरक्षित वन भूमि का प्रस्ताव/याचक विभाग के साथ दिनांक 18.11.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त कार्य में संरक्षित वन क्षेत्र में 27 वृक्ष बाधक हैं, एवं असंरक्षित वन क्षेत्र में 66 वृक्ष विध्यमान हैं। कुल 93 वृक्ष बाधक हैं। इस परियोजना में जनपद शामली हेतु 0.471 हे० वन भूमि वन विभाग का संरक्षित क्षेत्र है, सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और प्रस्तावित वन भूमि की मांग योजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है।

वि-6
(विरेन्द्र सिंह)

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
प.का.ई. - अम्बाला / PIU - AMBALA

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
पी0आई0यू0 अम्बाला

1
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली प्रभाग
शामली

Ankur
(अंकुश मेहता)
मैनेजर(तकनीकी)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
पी0आई0यू0 अम्बाला

क्षेत्रीय वन अधिकारी
Ab
नारायण वन अधिकारी
रेज (शामली)